

26/9/19



पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त द्वारा दिनांक 11.9.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया। नियत दिनांक को प्रार्थी/अपीलान्त उपस्थित नहीं आये। अपीलान्त की अपील का मूल आवेदन, पत्रादि सहित अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपील के सन्दर्भ में वांछित टिप्पणी स्मरण पत्र के बावजूद आज दिनांक तक प्रेषित नहीं की है, जो खेदजनक है। ~~सम्बन्धित~~ अधिकारी **SDO**, अजमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करें ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्त इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

3252-53
22/10/19

Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलेक्टर, अजमेर